

महिला और बाल विकास मंत्रालय

मांग संख्या 97

महिला और बाल विकास मंत्रालय

क. वस्तुओं को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	18436.18	103.29	18539.47	10286.73	95.67	10382.40	17257.00	94.89	17351.89	17270.00	108.12	17378.12
पूँजी	30.00	...	30.00
जोड़	18436.18	103.29	18539.47	10286.73	95.67	10382.40	17257.00	94.89	17351.89	17300.00	108.12	17408.12
ब.अ. 2016-2017												
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	34.19	34.19
2. समेकित आईसीडीएस (समेकित बाल विकास सेवाएं)												
2.01 प्रमुख आईसीडीएस	2235	90.00	...	90.00
	2552	1401.00	...	1401.00
	3601	12279.00	...	12279.00
	3602	230.00	...	230.00
	जोड़	14000.00	...	14000.00
2.02 राष्ट्रीय पोषण मिशन												
2.02.01 कार्यक्रम संघटक	2235	96.00	...	96.00
	2236	12.90	12.90
	2552	40.00	...	40.00
	3601	224.00	...	224.00
	3602	10.00	...	10.00
	4235	30.00	...	30.00
	जोड़	400.00	12.90	412.90
2.02.02 ईएपी संघटक	2235	50.00	...	50.00
	3601	398.00	...	398.00
	3602	2.00	...	2.00
	जोड़	450.00	...	450.00
जोड़- राष्ट्रीय पोषण मिशन		850.00	12.90	862.90
2.03 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना	2235	3.60	...	3.60
	2552	40.00	...	40.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
3601	346.32	...	346.32
3602	10.08	...	10.08
जोड़	400.00	...	400.00
2.04 किशोर बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु स्कीम के लिए (आरजीएसईएजी) - सबला, केएसवाई आदि	2235	5.00	...	5.00
2552	40.00	...	40.00
3601	411.00	...	411.00
3602	4.00	...	4.00
जोड़	460.00	...	460.00
2.05 कामकाजी माताओं के बच्चों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षुगृह स्कीम	2235	134.98	...	134.98
2552	15.00	...	15.00
3601	0.01	...	0.01
3602	0.01	...	0.01
जोड़	150.00	...	150.00
जोड़- समेकित आईसीडीएस (समेकित बाल विकास सेवाएं)	15860.00	12.90	15872.90
3. समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)	2235	73.98	...	73.98
3.01 समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)	2235	73.98	...	73.98
2552	39.70	...	39.70
3601	260.32	...	260.32
3602	23.00	...	23.00
जोड़	397.00	...	397.00
3.02 कामकाजी बच्चों के कल्याण और जरूरतमंद बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण की स्कीम	2235	2.68	...	2.68
2552	0.30	...	0.30
3601	0.01	...	0.01
3602	0.01	...	0.01
जोड़	3.00	...	3.00
जोड़- समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)	400.00	...	400.00
4. स्वायत्त निकायों को सहायता	2235	119.70	54.98	174.68
2552	13.30	...	13.30
जोड़	133.00	54.98	187.98

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
5. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान	2235	40.00	...	40.00
	2552	10.00	...	10.00
	3601	44.50	...	44.50
	3602	5.50	...	5.50
	जोड़	100.00	...	100.00
6. महिलाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण	2235	210.26	6.05	216.31
	2552	30.70	...	30.70
	3601	64.77	...	64.77
	3602	1.27	...	1.27
	जोड़	307.00	6.05	313.05
7. निर्भया निधि में अंतरण	2235	500.00	...	500.00
8. निर्भया निधि से वित्त पोषित स्कीमें												
8.01 एक स्थान पर समाधान केंद्र	2235	3.00	...	3.00
	2552	7.50	...	7.50
	3601	62.00	...	62.00
	3602	2.50	...	2.50
	जोड़	75.00	...	75.00
8.02 महिला हेल्पलाइन	2235	3.25	...	3.25
	2552	2.50	...	2.50
	3601	17.85	...	17.85
	3602	1.40	...	1.40
	जोड़	25.00	...	25.00
8.03 अन्य स्कीमें	2235	100.00	...	100.00
	2552	40.00	...	40.00
	3601	200.00	...	200.00
	3602	60.00	...	60.00
	जोड़	400.00	...	400.00
8.04 निर्भया निधि से खर्च की गई राशि	2235	-106.25	...	-106.25
	2552	-50.00	...	-50.00
	3601	-279.85	...	-279.85
	3602	-63.90	...	-63.90
	जोड़	-500.00	...	-500.00
	कुल

सं.अ. 2015-2016	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
9.	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	1.59	31.50	33.09	3.00	28.36	31.36	3.00	28.26	31.26
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण														
बाल कल्याण														
10.	समेकित बाल विकास योजनाएं (आईसीडीएस)													
10.01	आईसीडीएस	2235	28.75	...	28.75	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00
		3601
		3602
		जोड़	28.75	...	28.75	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00
10.02	विश्व बैंक सहायता प्राप्त आईसीडीएस प्रणालियों का सुदृढीकरण और पोषाहार संवर्धन परियोजना	2235	5.40	...	5.40	36.00	...	36.00	18.50	...	18.50
		3601
		3602
		जोड़	5.40	...	5.40	36.00	...	36.00	18.50	...	18.50
10.03	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन	2235	20.00	...	20.00	100.00	...	100.00
		3601
		3602
		जोड़	20.00	...	20.00	100.00	...	100.00
	जोड़- समेकित बाल विकास योजनाएं (आईसीडीएस)		54.15	...	54.15	226.00	...	226.00	108.50	...	108.50
11.	यूनिसेफ को अंशदान	2235	...	5.60	5.60	...	5.60	5.60	...	5.60	5.60
12.	राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी)	2235	13.18	22.85	36.03	18.00	19.00	37.00	18.00	19.00	37.00
13.	कामकाजी माताओं के बच्चों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम	2235	97.68	...	97.68	188.44	...	188.44	132.30	...	132.30
14.	कामकाजी बच्चों के कल्याण और जरूरतमंद बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण की स्कीम	2235	4.95	...	4.95	9.00	...	9.00	6.70	...	6.70
15.	केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (सीएआरए)	2235	3.10	1.72	4.82	9.00	1.85	10.85	5.00	1.85	6.85
16.	समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)	2235	55.51	...	55.51	65.00	...	65.00	65.00	...	65.00
		3601
		3602
		जोड़	55.51	...	55.51	65.00	...	65.00	65.00	...	65.00
17.	बालिकाओं हेतु बीमा सहित सशर्त नकद हस्तांतरण स्कीम (धनलक्ष्मी)	2235
18.	सबला और सधम													
18.01	किशोर बालिकाओं के सशक्तीकरण	2235	0.33	...	0.33	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
के लिए राजीव गांधी योजना (आरजीएसईएजी)												
18.02 किशोर-किशोरियों के सर्वांगीण विकास हेतु स्कीम-सक्षम	2235
जोड़- सबला और सक्षम		0.33	...	0.33	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
19. किशोर बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिए राजीव गांधी योजना (आरजीएसईएजी)-सबला	2235
3601
3602
जोड़
20. बालिका विशिष्ट जिला कार्रवाई योजना	2235
21. किशोरों के समग्र विकास की स्कीम - सक्षम	2235
3601
3602
जोड़
22. बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओ अभियान	2235	34.84	...	34.84	97.00	...	97.00	28.00	...	28.00
3601	42.00	...	42.00
3602	2.50	...	2.50
जोड़	...	34.84	...	34.84	97.00	...	97.00	72.50	...	72.50
23. अन्य योजनाएं	2235	42.15	0.45	42.60	62.10	0.63	62.73	52.90	0.63	53.53
जोड़-बाल कल्याण		305.89	30.62	336.51	684.54	27.08	711.62	470.90	27.08	497.98
महिला कल्याण												
24. महिला शिक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम	2235
25. कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल	2235	9.05	...	9.05	27.00	...	27.00	12.60	...	12.60
3601
3602
जोड़	...	9.05	...	9.05	27.00	...	27.00	12.60	...	12.60
26. प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता	2235	7.40	...	7.40	27.00	...	27.00	15.30	...	15.30
27. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	2235	40.82	25.24	66.06	45.00	23.57	68.57	36.15	22.89	59.04
28. अल्पावास गृह	2235
29. जागरूकता सृजन कार्यक्रम	2235
30. राष्ट्रीय महिला आयोग	2235	21.85	4.79	26.64	18.00	5.15	23.15	18.00	5.15	23.15
31. राष्ट्रीय महिला कोष	2235
32. देह व्यापार की रोकथाम की व्यापक योजना (उज्ज्वला)	2235	12.79	...	12.79	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
33.	प्रियदर्शिनी स्कीम	2235	4.51	...	4.51	5.00	...	5.00	7.08	...	7.08
34.	महिलोन्मुख बजट आयोजना और लैंगिक आंकड़े	2235	1.14	...	1.14	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80
35.	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन													
35.01	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना-सीएमवी स्कीम	2235	0.63	...	0.63	5.00	...	5.00	2.60	...	2.60
		3601
		3602
		जोड़	0.63	...	0.63	5.00	...	5.00	2.60	...	2.60
35.02	महिलाओं के संरक्षण और विकास की व्यापक योजना													
35.02.01	राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	2235	5.56	...	5.56	25.00	...	25.00	9.50	...	9.50
		3601
		3602
		जोड़	5.56	...	5.56	25.00	...	25.00	9.50	...	9.50
35.02.02	साहस (स्वाधार गृह)	2235	28.67	...	28.67	50.00	...	50.00	47.00	...	47.00
		3601
		3602
		जोड़	28.67	...	28.67	50.00	...	50.00	47.00	...	47.00
		जोड़	28.67	...	28.67	50.00	...	50.00	47.00	...	47.00
35.02.03	साहस (अन्य कार्यक्रम-बलात्कार पीड़ितों हेतु न्याय)	2235	0.01	0.01	...	0.01	0.01
		3601
		3602
		जोड़	0.01	0.01	...	0.01	0.01
		जोड़	0.01	0.01	...	0.01	0.01
35.02.04	साहस (महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों को सहायता)	2235
		3601
		3602
		जोड़
		जोड़
35.02.05	साहस (महिला हेल्पलाइन)	2235	1.00	...	1.00	0.70	...	0.70

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
35.02.06 साहस (एक स्थान पर संकट समाधान केंद्र)	2235	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
	3601
	3602
	जोड़	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
जोड़- महिलाओं के संरक्षण और विकास की व्यापक योजना	34.23	...	34.23	78.00	0.01	78.01	59.20	0.01	59.21
जोड़- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	34.86	...	34.86	83.00	0.01	83.01	61.80	0.01	61.81
36. महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति	2235	0.64	...	0.64	5.00	...	5.00	1.00	...	1.00
37. अकेले रहने वाली महिलाओं /निस्सहाय और विधवाओं के लिए आश्रय स्थल के निर्माण हेतु सहायता	2235
38. राष्ट्रीय महिला मामले संस्थान	2235
जोड़-महिला कल्याण	133.06	30.03	163.09	229.80	28.73	258.53	171.73	28.05	199.78
जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पोषाहार	438.95	60.65	499.60	914.34	55.81	970.15	642.63	55.13	697.76
39. राष्ट्रीय पोषाहार मिशन	2236
	3601
	3602
	जोड़
40. अन्य योजनाएं (पोषाहार शिक्षा योजना)	2236	9.05	11.16	20.21	22.50	11.50	34.00	22.50	11.50	34.00
जोड़-पोषाहार	9.05	11.16	20.21	22.50	11.50	34.00	22.50	11.50	34.00
41. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान	2552	31.40	...	31.40	17.60	...	17.60
41.01 समाज कल्याण-बाल कल्याण हेतु प्रावधान	2552	15.20	...	15.20	9.15	...	9.15
41.02 समाज कल्याण-महिला कल्याण हेतु प्रावधान	2552	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50
41.03 पोषाहार हेतु प्रावधान	2552	49.10	...	49.10	29.25	...	29.25
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान
राज्य और संघ राज्य योजना												
42. समेकित बाल विकास सेवाएं	2552	890.00	...	890.00	1627.00	...	1627.00
	3601	16360.96	...	16360.96	7110.00	...	7110.00	13527.00	...	13527.00
	3602	191.31	...	191.31	245.77	...	245.77	239.77	...	239.77

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
43. राष्ट्रीय पोषाहार मिशन	जोड़	16552.27	...	16552.27	8245.77	...	8245.77	15393.77	...	15393.77
	2552	9.60	...	9.60
	3601	195.19	...	195.19	65.00	...	65.00
	3602
	जोड़	204.79	...	204.79	65.00	...	65.00
44. विश्व बैंक सहायता प्राप्त आईसीडीएस प्रणालियों की सुदृढीकरण और पोषण सुधार परियोजना	2552
	3601	75.22	...	75.22	77.00	...	77.00	16.92	...	16.92
	3602	2.00	...	2.00
	जोड़	77.22	...	77.22	77.00	...	77.00	16.92	...	16.92
45. किशोरियों की अधिकारिता के लिए राजीव गांधी योजना (आरजीएसईएजी)-सबला	2552	19.50	...	19.50
	3601	617.10	...	617.10	444.00	...	444.00
	3602	5.00	...	5.00	2.00	...	2.00
	जोड़	622.10	...	622.10	465.50	...	465.50
46. किशोरों के समग्र विकास की स्कीम - सक्षम	2552
	3601
	3602
	जोड़
47. समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)	2552	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00
	3601	372.84	...	372.84	278.00	...	278.00	278.00	...	278.00
	3602	17.75	...	17.75	19.23	...	19.23	19.23	...	19.23
	जोड़	390.59	...	390.59	337.23	...	337.23	337.23	...	337.23
48. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना(आईजीएमएसवाई)	2552	40.00	...	40.00	10.80	...	10.80
	3601	338.55	...	338.55	360.00	...	360.00	210.10	...	210.10
	3602	3.96	...	3.96	33.00	...	33.00	10.00	...	10.00
	जोड़	342.51	...	342.51	433.00	...	433.00	230.90	...	230.90
49. महिलाओं के संरक्षण और विकास के लिए स्कीम	2552
49.01 राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	2552	2.00	...	2.00
	3601	3.55	...	3.55	13.00	...	13.00
	3602	2.00	...	2.00
	जोड़	3.55	...	3.55	17.00	...	17.00
49.02 साहस (स्वाधार गृह)	2552	1.50	...	1.50
	3601	4.00	...	4.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
3602
जोड़	5.50	...	5.50
49.03 साहस (बलात्कार पीड़िताओं हेतु पुनरुद्धारक न्याय)	2552
3601
3602
जोड़
49.04 साहस (घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं के संरक्षण कार्यान्वयन में राज्यों को सहायता)	2552
3601
3602
जोड़
49.05 साहस (महिला हेल्पलाइन)	2552	1.00	...	1.00
3601	15.00	...	15.00
3602	0.80	...	0.80
जोड़	16.80	...	16.80
49.06 साहस (एक स्थान पर संकट समाधान केंद्र)	2552	1.00	...	1.00
3601	9.00	...	9.00
3602	1.00	...	1.00
जोड़	11.00	...	11.00
जोड़- महिलाओं के संरक्षण और विकास के लिए स्कीम	3.55	...	3.55	50.30	...	50.30
जोड़-राज्य और संघ राज्य योजना	17988.24	...	17988.24	9297.79	...	9297.79	16559.62	...	16559.62
50. वास्तविक वसूलियां	2235	-1.65	...	-1.65
2236
2251	...	-0.02	...	-0.02
3601
जोड़	-1.65	-0.02	...	-1.67
कुल जोड़	18436.18	103.29	18539.47	10286.73	95.67	10382.40	17257.00	94.89	17351.89	17300.00	108.12	17408.12
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़

विकास शीर्ष	बजट सहायता			जोड़			बजट सहायता			जोड़		
	आं. व. वा. सं.	जोड़	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ग. योजना परिव्यय												
केन्द्रीय योजना:												
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	1.59	...	1.59	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
2. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	22235	437.30	...	437.30	914.34	...	914.34	598.13	...	598.13	1356.20	1356.20
3. पोषण	22236	9.05	...	9.05	22.50	...	22.50	22.50	...	22.50
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	49.10	...	49.10	29.25	...	29.25	1630.00	1630.00
जोड़ - केन्द्रीय योजना		447.94	...	447.94	988.94	...	988.94	652.88	...	652.88	2986.20	2986.20
राज्य योजना:												
1. बाल विकास	43601	17426.12	...	17426.12	8599.79	...	8599.79	16059.42	...	16059.42	14193.16	14193.16
2. महिला विकास	43601	342.10	...	342.10	400.00	...	400.00	267.40	...	267.40	64.77	64.77
जोड़ - राज्य योजना		17768.22	...	17768.22	8999.79	...	8999.79	16326.82	...	16326.82	14257.93	14257.93
संघ राज्य क्षेत्र योजना :												
संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)												
1. बाल विकास	43602	198.31	...	198.31	245.77	...	245.77	244.27	...	244.27	54.60	54.60
2. महिला विकास	43602	21.71	...	21.71	52.23	...	52.23	33.03	...	33.03	1.27	1.27
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना		220.02	...	220.02	298.00	...	298.00	277.30	...	277.30	55.87	55.87
जोड़		18436.18	...	18436.18	10286.73	...	10286.73	17257.00	...	17257.00	17300.00	17300.00

1. **सचिवालय सामाजिक सेवाएं:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है। इसमें मंत्रालय में ई-गवर्नेंस की गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के एप्लीकेशन खरीदने, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर खरीदने प्रशिक्षण आदि के लिए आवश्यकताएं शामिल हैं।

2.01. **मुख्य आईसीडीएस:** मुख्य आईसीडीएस : यह प्रावधान 6 साल तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं को स्वास्थ्य , पूरक पोषण तथा स्वैच्छिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने के लिए है। पैकेज में पूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, रैफरल सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा शामिल हैं। स्कीम के सर्वसुलभिकरण के बाद सरकार ने मांग पर 20,000 आंगनवाड़ियों सहित 7,076 परियोजनाओं तथा 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों/लघु आंगनवाड़ी केंद्रों की संचयी संख्या को अनुमोदित किया है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के लिए 14059 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

2.02. **राष्ट्रीय पोषाहार मिशन:** राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य मातृ एवं बाल कुपोषण को समाप्त करना, कुपोषण के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण अभियान की शुरुआत करना और संबंधित मंत्रालयों के कार्यक्रमों एवं स्कीमों में पोषण पर ध्यान संकेंद्रित करना है। इसमें विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित आईसीडीएस सुदृढ़ीकृत प्रणाली एवं पोषण सुधार परियोजना और समेकित पोषण शिक्षा (आईईएन) भी शामिल हैं जिसमें पोषण समर्थन, बुनियादी स्तर के कर्मियों एवं

सामुदायिक स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं का अभिसरण और चार उन्नत खाद्य जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना करके गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करना शामिल है।

2.03. **इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना:** इस स्कीम में गर्भधारण की दूसरी तिमाही की समाप्ति से प्रसव पश्चात 6 माह तक गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को सीधे नकद सहायता प्रदान करने की परिकल्पना है। मां एवं बच्चे के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित विशिष्ट शर्तों के पूरा होने पर गर्भवती एवं धात्री माताओं को 6,000/-रुपये दिए जाते हैं। यह स्कीम अल्पावधिक आय सहायता के उद्देश्यों को पूरा करेगी तथा आचरण एवं रवैये में परिवर्तन के दीर्घावधिक लक्ष्यों को भी पूरा करेगी। स्कीम प्रायोगिक आधार पर पूरे देश के 53 जिलों में चल रही है। स्कीम बच्चों के जन्म से पूर्व और जन्म के बाद भी गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को मजदूरी की क्षति की आंशिक रूप से भरपाई करने का प्रयास करती है।

2.04. **किशोर बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु स्कीम - सबला,:** यह स्कीम 2010 में शुरू की गई। इसे प्रायोगिक आधार पर पूरे देश के 205 जिलों में चलाया जा रहा है। यह 11 से 18 साल की किशोरियों के लिए स्कीम है जिसे सबला के नाम से भी जाना जाता है। समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के प्लेटफार्म का प्रयोग करके इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। स्कीम के दो प्रमुख घटक हैं अर्थात् पोषण और गैर-पोषण घटक। 11-14 साल की स्कूल जाने वाली लड़कियों तथा 14-18 साल की सभी किशोरियों, चाहे वे स्कूल जाती हैं या नहीं, को घर ले जाने वाले राशन, गर्म पके भोजन के रूप में पोषण दिया जा रहा है। गैर-पोषण के तहत 11 से 18 साल की स्कूल बाह्य किशोरियों को आईएफए सम्पूरन ,जांच एवं रैफरल सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य

शिक्षा, परिवार कल्याण पर परामर्श एवं मार्गदर्शन, किशोर प्रजनन यौन स्वास्थ्य (अर्श), बाल देखरेख प्रथाएं तथा जीवन कौशल शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

2.05. कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु सदन स्कीम: इस स्कीम का उद्देश्य ऐसी कामकाजी माताओं और अन्य पात्र महिलाओं के बच्चों (0-6 वर्ष के आयु समूह) को दिन में देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराना है जिनकी पारिवारिक आय 12000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं है। इस स्कीम के अंतर्गत पूरक आहार, स्वास्थ्य सुविधा संबंधी आदान जैसे कि टीकाकरण, पोलिया ड्राप, स्वास्थ्य निगरानी, सोने की सुविधाएं, शीघ्र अनुकार (तीन वर्ष से कम आयु में), 3-6 वर्ष की आयु तक पूर्व-विद्यालयी शिक्षा तथा आपात स्थिति में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

3.01. समेकित बाल संरक्षण स्कीम: मंत्रालय इस केंद्र प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसका उद्देश्य देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों तथा अन्य असुरक्षित बच्चों के व्यापक विकास के लिए सुरक्षित एवं निरापद माहौल सृजित करना है। लागत हिस्सेदारी आधार पर मुख्य रूप से राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से वित्त वर्ष 2009-10 से यह स्कीम चलाई जा रही है। कार्यक्रम के घटकों में संस्थायनिक सेवाएं जैसेकि आश्रय गृह, बाल गृह, प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, केंद्र, राज्य एवं जिला स्तरों पर समर्पित सेवा प्रदायगी संरचनाएं, प्रायोजकता के माध्यम से परिवार आधारित गैर-संस्थानिक देखरेख, धात्री देखरेख, दत्तक ग्रहण, देखरेख पश्चात कार्यक्रम, चाईल्डर लाईन और चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम के माध्यम से आपातकालीन आउटरीच सेवा शामिल है। आईसीपीएस ने अपने दायरे में विद्यमान बाल संरक्षण कार्यक्रमों अर्थात् (1) किशोर न्यायन कार्यक्रम (2) बेघर बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम और (3) गृहों (शिशुगृह) को सहायता की स्कीम, ताकि एक छत्रछाया के नीचे देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा दिया जा सके और नए हस्तक्षेप भी शुरू किए जा सकें।

3.02. कामकाजी बच्चों तथा देखभाल एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के कल्याण हेतु स्कीम: इस स्कीम का उद्देश्य कामकाजी बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा में लाना और स्वास्थ्य देखरेख एवं पोषण के अलावा स्वरोजगार के लिए कामकाजी बच्चोंको व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना भी है।

4. स्वायत्त निकायों को सहायता: स्वायत्त निकायों को सहायता: इस मंत्रालय के अंतर्गत 6 स्वायत्त संगठन हैं जिनका विवरण इस प्रकार है :-

(क): राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यूस म): राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में गठित किया गया था। इसे संविधान तथा अन्य 1 कानूनों के तहत प्रदत्त सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच पड़ताल और जांचने का अधिकार प्राप्त है। यह शिकायतों की जांच करता है और महिला अधिकारों आदि के बचन से संबंधित मामलों का स्व-प्रेरणा से संज्ञान लेता है।

(ख): राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर):- इस आयोग की स्थापना बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत बच्चों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के मानीटरन और बच्चों की उत्तरजीविता उनके कल्याण तथा विकास से संबंधित कार्यक्रमों के मानीटरन के माध्यम से बच्चों के अधिकारों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी।

(ग): केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी): केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने महिलाओं तथा बच्चों:

के कल्याण तथा विकास के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की है। महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो इस समय क्रियान्वित किए जा रहे हैं, में महिलाओं और बच्चों के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम, जागरूकता विकास कार्यक्रम (एजीपी) परिवार परामर्श केंद्र और अल्पवास गृह शामिल हैं। ये स्कीमें राज्या तथा समाज कल्याण बोर्डों के सहयोग से स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं।

(घ): राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड):- राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान अनुसंधान तथा मूल्यांकन, अध्ययन, संचालित करता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन आयोजित करता है, जन सहयोग और बाल विकास के क्षेत्र में सूचना सेवाएं प्रदान करता है, और अपने नई दिल्ली तथा बेंगलूर, गुवाहाटी, इंदौर तथा लखनऊ स्थित अपने चार क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण और अनुसंधान परामर्शी सेवाओं की जरूरतों की आपूर्ति भी करता है।

(ङ.): केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा):- केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी देश के विभिन्न भागों में हितधारकों के लिए संबर्धनात्मक कार्यकलापों और क्षमता निर्माण कार्यकलापों को पूरा करते हुए बाल दत्तक ग्रहण को शासित करने वाले दिशानिर्देश 2011 को क्रियान्वित कर रहा है।

(च): राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके):- राष्ट्रीय महिला कोष, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन विशेष रूप से महिलाओं को लघु ऋण, उपलब्ध कराने वाले सर्वोच्च संगठन की स्थापना वर्ष 1993 में निर्धन महिलाओं को सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों, महिला संघों, एवं सहकारी बैंकों के माध्यम से लघु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। राष्ट्रीय महिला कोष ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में जीविकोपार्जन हेतु कार्यकलापों, लघु उद्यमों, आवास तथा पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्राहक अनुकूल एवं सरल ऋण प्रदान करने के तंत्र के माध्यम से ऋण प्रदान करता है। राष्ट्रीय महिला कोष के लघु ऋण, बचत एवं ऋण, स्व सहायता दलों के गठन एवं स्थिरीकरण और निर्धन महिलाओं हेतु उद्यम विकास को आसान करने के लिए अनेक उन्नत उपाय किए हैं।

5. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ: सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का उद्देश्य देश में जन अभियान और कम बाल लिंग अनुपात वाले 100 चयनित जिलों में संकेंद्रित उपायों तथा बहु क्षेत्रीय कार्रवाई के माध्यम से घटते हुए बाल लिंग अनुपात की समस्या का समाधान करना है। इस स्कीम का विस्तार उन 200 अति प्रभावित जिलों में से 61 और जिलों में कर दिया गया है, जहां बाल लिंग अनुपात प्रतिकूल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य लड़कियों का जन्मोत्सव मानाना और उन्हें शिक्षा का अधिकार देना है। स्कीम के विशिष्ट उद्देश्य (i) लिंग पूर्वाग्रह लिंग चयनित गर्भ के समापन की रोकथाम (ii) उत्तजीविता सुनिश्चित करना (iii) बालिका का संरक्षण और (iv) बालिका की शिक्षा एवं भागीदारी सुनिश्चित करना हैं। बीबीबीपी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला कलैक्ट र/उपायुक्त नोडल अधिकारी है।

6. महिलाओं का संरक्षण तथा सशक्तीकरण: यह अम्ब्रेला स्कीम जेंडर सशक्तीकरण के लिए नीतियों तथा स्कीमों के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न कार्यकलापों में समभिरूपता लाने पर लक्षित है। विपत्तिग्रस्त महिलाओं और अवैध व्यापार से बचाई गई महिलाओं को स्वाधार गृह तथा उज्ज्वल गृहों के माध्यम से आश्रय दिया जाएगा और उनके रोजगार

में सहायक तथा आय सृजन से संबंधित प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करके, गृहों से दूर नियोजित महिलाओं को सुरक्षित तथा किफायती आवास (होस्टल) प्रदान करके उन्हें समाज में परिवार के साथ पुनर्वासित और पुनः एकीकृत किया जाएगा। विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर आवश्यक शोध किए जाएंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहां नए उपायों को अपनाए जाने की जरूरत है या कहां इन उपायों को तीव्रता से अपनाए जाने की जरूरत है। मंत्रालय की नीतियों, कार्यक्रमों और स्कीमों के बारे में जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से अपेक्षित प्रचार सुनिश्चित किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत उप-स्कीमें इस प्रकार हैं:-

क. राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन

ख. स्वास्थ्य गृह

ग. उज्वला

घ. कामकाजी महिला होस्टल

ङ. जेंडर बजटिंग

च. स्टेप

छ. अनुसंधान तथा मानीटरिंग

ज. सूचना तथा जन शिक्षा

8.01. **वन स्टॉप सेंटर:** वन स्टॉप सेंटर विशेषकर के महिलाओं को परिवार समुदाय कार्यस्थल आदि सहित किसी भी निजी एवं सार्वजनिक स्थान पर हिंसा से प्रभावित होने की स्थिति में एक ही स्थान पर सभी प्रकार की सहायता एवं समर्थन देना है। इस स्कीम का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को मेडिकल सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता/मामला प्रबंधन, मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा अस्थायी सहायता सेवाओं सहित समेकित सेवा की सुलभता सुकर कराना है। यह स्कीम 1 अप्रैल, 2015 से लागू है।

8.02. **महिला हेल्पलाइन:** मंत्रालय ने महिला हेल्पलाइन सर्वसुलभीकरण की स्कीम 19 फरवरी, 2015 को अनुमोदित कर दी है। महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) सार्वजनिक तथा निजी दोनों स्थानों पर हिंसा से पीड़ित सभी महिलाओं को 24 घंटे आपात प्रतिक्रिया उपलब्ध कराएगी। यह स्कीम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

8.03. **अन्य स्कीमें:** इसमें बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रावधान तथा यूनिसेफ को योगदान शामिल है, जो नई दिल्ली स्थित इसके कार्यालय के प्रशासनिक व्यय और यूनिसेफ के लिए भारत के योगदान का व्यय वहन करने के लिए अभिहित है।